10

भारतीय विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र एवं प्रचलित भाषाएँ– एक सांख्यिकीय शैक्षिक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण

संदीप कुमार शर्मा*
वीरेंद्र प्रताप सिंह**

प्रस्तुत शोध प्रपत्र के अंतर्गत भारतीय विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र एवं प्रचलित भाषाओं की वस्तुस्थिति का एक वस्तुनिष्ठ सांख्यिकीय विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस प्रपत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रायोजित अद्यतन शैक्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत त्रि-भाषा सूत्र एवं प्रचलित भाषाओं पर संकलित किए गए आँकड़े अध्ययन हेतु लिए गए हैं। आँकड़ा संग्रहण और विश्लेषण से प्रतीत होता है कि भारत सरकार द्वारा जारी त्रि-भाषा सूत्र विगत 50 वर्ष में देश के विद्यालयों में शत्-प्रतिशत लागू नहीं किया जा सका है।

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य एवं विविधता से आच्छादित बहुभाषी देश है। देश की जनगणना-1901 में पहली बार भाषाओं से संबंधित आँकड़े संकलित किए गए थे जिससे भारत की भाषायी वास्तविकता की सशक्त तस्वीर उभर कर लोकजन के संज्ञान में आयी थी। जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 172 भाषाएँ और 544 बोलियाँ हैं। तीसरे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण-1973 से स्पष्ट रुप से विदित हुआ कि भारत में 368 मातृभाषाएँ बोली जाती हैं जबकि भारत की जनगणना-1991 में 216 मातृभाषाएँ और 114 भाषाएँ बतायी गयी हैं। सर्वेक्षण में प्रतिवेदित बहुत-सी भाषाएँ पूर्ण विकसित नहीं रही हैं। ये भाषाएँ केवल इसलिए प्रचलन में हैं कि इनके वक्ता अन्य कोई भाषा नहीं जानते, इसलिए भारत में शैक्षिक विकास के साथ-साथ एक बड़ी संख्या में भाषाओं को या तो एक शैक्षिक माध्यम या एक शिक्षा के विषय की प्रणाली के रूप में विशेष रूप से भारत के छोटे एवं

**चिकित्सा अभिलेख विभाग*, आर्युविज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणासी-221 005
***एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शैक्षिक आकाँक्षाओं की पूर्ति करने के लिए स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 आधुनिक भारतीय भाषाओं को निदेशित किया गया है। इनमें से हिंदी को भारत की आधिकारिक राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसलिए देश में शैक्षिक प्रणाली को ऐसे संवैधानिक दायित्त्वों के अधीन लागू करने की आवश्यकता है जो छोटे एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूर्ण कर सके। इसके अतिरिक्त, संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुच्छेद-345 एवं 351 के अंतर्गत राजभाषा नीति से संदर्भित मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु समुचित व्यवस्था दी गयी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से एक या अधिक भाषाएँ जो भारत गणराज्य के राज्यों में बोली जाती हैं, को राज्य द्वारा अधिकारिक भाषा के रूप में चुनने की पूरी आज़ादी है। हिंदी का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों एवं शासन की भाषा देवनागरी लिपि में निर्धारित किया गया है। अँग्रेज़ी देश की एक सहयोगी अधिकारिक भाषा के रूप में जारी रहेगी। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिकारिक रूप से बोली जाने वाली मान्यता प्राप्त भाषाएँ तालिका-1 में प्रस्तुत की गयी हैं (केंद्रीय हिंदी संस्थान, 2009)।

संवैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1957 में त्रि-भाषा सूत्र का सुझाव दिया था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वर्ष 1961 में इस सूत्र की समीक्षा कर निर्णय लिया कि विद्यालयी स्तर पर एक बच्चे को–

1. क्षेत्रीय भाषा,
2. अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी में और हिंदी क्षेत्रों में किसी अन्य भाषा में, और
3. अँग्रेज़ी या किसी अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा में भाषा का अध्ययन करना चाहिए।

भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा आयोग ने वर्ष 1964-66 में त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन का विभिन्न राज्यों एवं संघ क्षेत्र (केंद्र शासित राज्यों) में अध्ययन कर एक संशोधित त्रि-भाषा सूत्र की संस्तुति की, जिसके अनुसार–

1. पहली भाषा मातृभाषा (मातृभाषा वह भाषा है जो कि माता द्वारा बाल्यावस्था में बच्चे के साथ बोली जाती है। यदि बाल्यावस्था में बच्चे की माता का देहांत हो जाता है तो बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाएगी।) मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और यह संशोधित तीन भाषा सूत्र में कक्षा-1 से 10 तक पढ़ायी जाए।
2. दूसरी भाषा हिंदी या अँग्रेज़ी हो सकती है, जो पाँचवी से दसवीं तक अनिवार्य रूप से पढ़ायी जाए।
3. तीसरी भाषा जो आठवीं से दसवीं के बीच पढ़ायी जाए वह या तो हिंदी हो या अँग्रेज़ी हो सकती है जो पहले न सीखी

हो। इन तीन वर्षों में विद्यार्थी ऐच्छिक एक या एक से अधिक भारतीय भाषा का अध्ययन कर सकता है।

शैक्षिक सर्वेक्षण और त्रि-भाषा सूत्र पर आँकड़े

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सात शैक्षिक सर्वेक्षण किए हैं लेकिन तीसरे, पाँचवे, छठे और सातवें सर्वेक्षण में आँकड़े भाषा और शैक्षणिक अनुदेश के माध्यम के अनुसार ही एकत्रित किए गए हैं। सातवें सर्वेक्षण के अनुसार आँकड़े निम्नलिखित बिंदुओं पर संकलित किए गए (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2002)–

1. भाषाएँ जो विद्यालयों में विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर पढ़ायी गयी,
2. विद्यालय में शिक्षा के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाई सूत्र का अनुसरण करने वाले विद्यालय,
3. विद्यालयों में शैक्षणिक अनुदेश के माध्यम, और
4. मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर दी गई विद्यालयी शिक्षा।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र सातवें अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण के अंतर्गत संकलित आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007)।

राज्यवार विद्यालयों में प्रचलित त्रि-भाषा सूत्र

सातवें अखिल भारतीय विद्यालयी सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार राज्यवार विश्लेषण दर्शाता है कि 27 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च प्राथमिक स्तर पर 90% से अधिक विद्यालय त्रि-भाषा सूत्र को अपना रहे हैं। इनमें से अरूणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में त्रि-भाषा सूत्र को सभी विद्यालयों में अपनाया जा रहा है। कर्नाटक, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम और केरल राज्य में लगभग 99% विद्यालयों ने त्रि-भाषा सूत्र को अपनाया है। 90% से कम त्रि-भाषा सूत्र अपनाने वाले राज्य– तमिलनाडु (11.76%), पांडिचेरी (21.91%), उड़ीसा (99.26%), नागालैंड (58.91%), जम्मू और कश्मीर (62.71%), मेघालय (79.81%), असम (86.70%) और चंडीगढ़ (87.97%) रहे हैं।

माध्यमिक स्तर पर 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में त्रि-भाषा सूत्र का 80% से अधिक विद्यालयों में अनुसरण किया जा रहा है। 20 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से अधिक विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र का अनुसरण हो रहा है। दमन व दीव और लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेशों में सभी विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र लागू किया जा चुका है। माध्यमिक स्तर पर मणिपुर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र को 99% से अधिक में अपनाया गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (2.15%),

त्रिपुरा (11.98%), तमिलनाडु (12.63%), पुदुच्चेरी (16.83), पश्चिम बंगाल (18.33%), मेघालय (54.38%) और नागालैंड (55.12%) विद्यालयों में भी त्रि-भाषा सूत्र को आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया है।

विद्यालयों में प्रचलित भाषाएँ

राष्ट्रीय भाषा नीति के अनुसार एक बच्चे को त्रि-भाषा सूत्र को विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य है। ये पहली भाषा, दूसरी भाषा और तीसरी भाषा के अनुसार सुनिश्चित किए गए हैं। तालिका-2 से स्पष्ट है कि देश में 47 प्रमुख भाषाएँ प्रचलित हैं जो विद्यालयों में पहली या दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ायी जाती हैं।

भारत के अधिकांश राज्यों द्वारा त्रि-भाषा सूत्र विद्यालयों में अपनाया गया है। इस संबंध में तालिका-3 क्षेत्रवार उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर त्रि-भाषा सूत्र अपनाने के आधार पर विद्यालयों की संख्या प्रस्तुत करती है। तालिका-3 से स्पष्ट है कि उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में त्रि-भाषा को अपनाया जा रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 90.61% विद्यालय त्रि-भाषा सूत्र का अनुसरण कर रहे हैं। तालिका से स्पष्ट है कि त्रि-भाषा सूत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत (91.01%) नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों (89.47%) से तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक है। माध्यमिक स्तर पर त्रि-भाषा सूत्र को अपना रहे विद्यालयों का प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की तुलना में कम है।

प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ

तालिका-4 में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा के आधार पर क्षेत्रवार विद्यालयों के प्रतिशत से स्पष्ट है कि देश के अधिकांश विद्यालयों (87.49%) में प्राथमिक स्तर पर अँग्रेज़ी भाषा पढ़ाई जा रही है। देश में 59.70% विद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ायी गयी है। हिंदी भाषा के बाद संस्कृत भाषा है जो अधिकतम संख्या में विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर पढ़ायी गयी। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों (89.87%) में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों (87.04%) की अपेक्षा अँग्रेज़ी भाषा की पेशकश करने वाले विद्यालयों का प्रतिशत अधिक है। हिंदी भाषा की भी इसी प्रवृत्ति में पेशकश की गई है। लेकिन संस्कृत भाषा की स्थिति भिन्न है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों (23.39%) का प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विद्यालयों (19.67%) की तुलना में अधिक है।

तालिका-5 क्षेत्रवार प्राथमिक स्तर पर पढ़ायी जाने वाली भाषा के आधार पर प्रबंधवार विद्यालयों की संख्या दर्शाता हैं। तालिका से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर एक तिहाई (35.30%) विद्यालय तीन या तीन से अधिक भाषा पढ़ा रहे हैं। अनुपातिक तुलना में नगरीय विद्यालयों (39.74%) का अनुपात ग्रामीण विद्यालयों (34.47%) की अपेक्षाकृत अधिक है। विद्यालय प्रबंधन के आँकड़े दर्शाते हैं कि प्राथमिक स्तर

पर गैर सरकारी वित्त-विहीन (51.21%) विद्यालय तीन या तीन से अधिक भाषाओं की पेशकश करके सरकारी (48.98%) विद्यालयों की अपेक्षा आगे हैं। स्थानीय निकाय के विद्यालयों में तीन या तीन से अधिक भाषाओं की पेशकश केवल 8.28% है और अधिकांश स्थानीय निकाय के विद्यालयों में केवल 84.51% विद्यालयों में ही प्राथमिक स्तर पर केवल दो भाषाओं की ही पेशकश कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर लगभग 8% विद्यालय केवल एक ही भाषा की पेशकश कर रहे हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के आँकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो प्राथमिक स्तर पर अधिकांशत: समस्त विद्यालयों (97.90%) में तीन या तीन से अधिक भाषा सिखा रहा है। पंजाब (97.89%) और उत्तर प्रदेश (97.36%) अपने विद्यालयों में तीन या तीन से अधिक भाषा का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरी और अरुणाचल प्रदेश ने सभी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर केवल दो भाषाओं की पेशकश की है। पश्चिम बंगाल (1.13%) और हिमाचल प्रदेश (1.20%) के विद्यालय बहुत ही कम अनुपात में दो भाषाओं से अधिक भाषा की पेशकश कर रहे हैं।

भाषा को पहली भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालय

सर्वेक्षण आँकड़ों के अनुसार अधिकांश विद्यालय प्रथम भाषा को ही भाषा के रूप में रखते हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत थोड़े विद्यालयों ने एक से अधिक भाषाओं को प्रथम भाषा के रूप उपलब्ध कराया है। ऐसे विद्यालय जिन्होंने एक से अधिक भाषाओं को प्रथम भाषा के रूप में अपनाया है, का अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की तुलना में अधिक है। तालिका-6 से यह भी स्पष्ट होता है कि ऐसे विद्यालय जो एक से अधिक भाषाओं को प्रथम भाषा के रूप में अपना रहे हैं, का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अधिक है। तालिका-7 के अनुसार क्षेत्रवार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को पहली भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या दर्शायी गयी है। तदनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर 39. 92% विद्यालयों में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ायी गयी है जबकि 9.89% विद्यालयों में अँग्रेज़ी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ायी गयी है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मराठी प्रथम भाषा के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर 9.78% विद्यालयों में पढ़ायी गयी है। माध्यमिक स्तर पर ऐसे विद्यालय (13.26%) जिनमें अँग्रेज़ी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ायी जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय (9.89%) की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से अधिक विद्यालयों में पढ़ायी गयी है। फिर भी हिंदी (प्रथम भाषा के रूप में) के मामले में स्थिति विपरीत है जहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों का प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों के प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

राज्यों के विद्यालयों में जहाँ दो या अधिक भाषाओं को प्रथम भाषा के रूप में अपनाया

गया है के सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अरूणाचल प्रदेश के अतिरिक्त समस्त अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के विद्यालयों द्वारा दो या अधिक भाषाओं को प्रथम भाषा के रूप में अपनाने की पेशकश की जा रही है। हालांकि राज्यों/संघ शासित प्रदेश के विद्यालयों जिनके द्वारा दो या अधिक भाषाओं की पेशकश की गयी है, का अनुपात बहुत कम है। लक्षद्वीप (96.67%), केरल (53.01%), चंडीगढ़ (33.08%) और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (25.34%) राज्य के विद्यालयों द्वारा दो या अधिक भाषाओं को प्रथम भाषा के रूप में सिखाने कि पेशकश की गयी है। माध्यमिक स्तर पर यह माना गया है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, दमन और दीव राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिसमें दो या अधिक भाषाएँ प्रथम भाषा के रूप में पढ़ायी जा रही हैं। 30 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयों जिनमें दो या अधिक भाषाएँ प्रथम भाषा के रूप में पढ़ायी जा रही है, का प्रतिशत 20% से भी कम है जबकि अन्य राज्यों में 20% से अधिक है जिनमें बिहार (20.14%), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (34.41%), केरल (38.19%), चंडीगढ़ (38.89%) और लक्षद्वीप (90%) शामिल हैं।

भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालय

क्षेत्रवार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या को तालिका-8 में दर्शाया गया है। तालिका के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर 97.75% विद्यालय दूसरी भाषा सिखा रहे हैं जबकि यह प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर 98.96% विद्यालयों में पाया गया है। तालिका-8 से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की तुलना में (जिन्होंने द्वितीय भाषा की पेशकश की है) विद्यालयों का प्रतिशत अधिक रहा है। तालिका-9 भाषावार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या के संदर्भ में वस्तुस्थित से अवगत कराता है। इस तालिका से स्पष्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर के 57.11% विद्यालयों में तथा माध्यमिक स्तर के 56.11% विद्यालयों में अँग्रेज़ी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ायी गयी है। देश के लगभग एक तिहाई (33.57%) उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में तथा 35.71% माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ायी जाती है।

देश के राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि दो या दो से अधिक भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ा रहे विद्यालयों का प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर पर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (11.64%), जम्मू कश्मीर (11.74%), चंडीगढ़ (48.86%) और सिक्किम (53.76%) के विद्यालयों को छोड़ कर) 10% या इससे कम है दूसरी तरफ अरूणाचल प्रदेश और दमन एवं दीव ऐसे राज्य हैं जहाँ उच्च प्राथमिक स्तर का एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें दो या दो से

अधिक भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में सिखाया जा रहा है। माध्यमिक स्तर के मामले में अरूणाचल प्रदेश और दमन एवं दीव ऐसे राज्य हैं जिनमें कोई ऐसा विद्यालय नहीं मिला जिनमें दो या अधिक भाषाएँ दूसरी भाषा के रूप में पेशकश की गईं हों। सिक्किम ही ऐसा राज्य है जहाँ के विद्यालयों का अनुपात जिनमें दो या अधिक भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है, अधिकतम विद्यालय 54.96% है जबकि चंडीगढ़ में 42.86% विद्यालय हैं।

भाषा को तीसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालय

तालिका–10 विद्यालय के आधार पर भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या को क्षेत्रवार व्यक्त करती है। तालिका से स्पष्ट है कि देश में उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 90% विद्यालयों में और माध्यमिक स्तर पर लगभग 85% विद्यालयों में तीसरी भाषा की सुविधा रही है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में तीसरी भाषा की सुविधा का प्रतिशत अधिक रहा है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि तीसरी भाषा के मामले में भी ऐसे विद्यालयों (जिनमें दो या अधिक भाषाओं की तीसरी भाषा के रूप में पेशकश की जा रही है) का प्रतिशत माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की तुलना में अधिकतम है जबकि आशा की जाती है कि यह प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की तुलना में अधिक होना चाहिए।

तालिका–11 भाषा के आधार पर भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या प्रस्तुत करती है। भारत में 40.12% विद्यालय संस्कृत भाषा को तीसरी भाषा के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर पेश कर रहे हैं और माध्यमिक स्तर 34.30% विद्यालय संस्कृत भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पेश कर रहे हैं है। तीसरी भाषा की प्रतिबंधता में संस्कृत के बाद अँग्रेज़ी दूसरे स्थान पर है। अँग्रेज़ी को तीसरी भाषा के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में 32.12% और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 31.25% के अनुसार अपनाया जा रहा है। तीसरी भाषा के रूप में विद्यालयों में हिंदी तीसरे पायदान पर है और हिंदी तीसरी भाषा के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर 16.59% विद्यालयों में और माध्यमिक स्तर पर 18.85% विद्यालयों में प्रयोग की जा रही है।

विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य गोवा दो या दो से अधिक भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में अपने विद्यालयों के अधिकतम 41.36% विद्यालयों में पेशकश कर रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (28.08%) और चंडीगढ़ (22.56%) केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयों ने इसका अनुसरण किया है। अन्य सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रतिशत 20 से भी कम है। दूसरी तरफ दमन और दीव में केवल एक ही भाषा

को तीसरी भाषा के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में विषय के रूप में सिखाने की पेशकश की गई है।

माध्यमिक स्तर पर 4 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों (अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव) में केवल एक भाषा को ही तीसरी भाषा के रूप में विद्यालय अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा के 56.10% विद्यालयों और उड़ीसा के 45.60% विद्यालयों के अतिरिक्त देश के समस्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में दो या दो से अधिक भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में अपने विद्यालयों में पढ़ाए जाने का प्रतिशत 20 से भी कम है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में भारतीय विद्यालयों में त्रि-भाषा सूत्र एवं प्रचलित भाषाओं का सातवें अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण में भाषा संबंधी आँकड़ों के आधार पर एक विश्लेषण किया गया है, तद्नुसार निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष उजागर हुए–

1. त्रि-भाषा सूत्र के अंतर्गत ग्रामीण उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों से अधिक है।
2. उच्च प्राथमिक स्तर पर 39.92% विद्यालयों में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में और 9.89% विद्यालयों में अँग्रेज़ी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ायी जा रही है
3. गैर सरकारी वित्त-विहीन प्राथमिक स्तर के विद्यालय दो भाषाओं से अधिक भाषाओं की पेशकश करने में सरकारी प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की अपेक्षा आगे है।
4. उत्तराखण्ड एक ऐसा राज्य है जहाँ प्राथमिक स्तर पर अधिकांशत: विद्यालयों में दो भाषाओं से अधिक भाषाएँ सिखायी जा रहीं हैं।
5. देश में उच्च प्राथमिक स्तर पर 90% के करीब और माध्यमिक स्तर पर 85% विद्यालयों में तीसरी भाषा पढ़ायी जा रही है।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (2002), सप्तम अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण, सर्वेक्षण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन, शैक्षिक सर्वेक्षण और आँकड़ा प्रक्रियन विभाग, नयी दिल्ली।
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (2007), सप्तम अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आख्या, शैक्षिक सर्वेक्षण और आँकड़ा प्रक्रियन विभाग, नयी दिल्ली।
3. केंद्रीय हिंदी संस्थान (2009), बहुभाषिकता– नए आयाम, गवेषणा-अंक 95/96 जुलाई-दिसंबर 2009।

तालिका–1

भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाने वाली मान्यता प्राप्त भाषाएँ

क्र.सं.	*भाषा*	*राज्य/केंद्र शासित प्रदेश*
1.	आसामी	असमिया
2.	बंग्ला	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
3.	बोड़ो	असम
4.	डोगरी	जम्मू और कश्मीर
5.	गुजराती	गुजरात, दादर व नागर हवेली, दमन और दीव
6.	हिंदी	बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
7.	कन्नड़	कर्नाटक
8.	कश्मीरी	जम्मू और कश्मीर
9.	कोंकणी	गोवा
10.	मलयालम	केरल
11.	मणिपुरी	मणिपुर
12.	मैथिली	बिहार
13.	मराठी	महाराष्ट्र, गोवा
14.	नेपाली	पश्चिम बंगाल, सिक्किम
15.	उड़िया	ओडिशा
16.	पंजाबी	पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा
17.	संस्कृत	–
18.	सिंधी	झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़
19.	संथाली	झारखण्ड
20.	तमिल	तमिलनाडु
21.	तेलुगू	आंध्र प्रदेश
22.	उर्दू	जम्मू और कश्मीर

तालिका–2

भारतीय विद्यालयों में प्रचलित भाषाएँ

क्र.सं.	*भाषा*	*क्र.सं.*	*भाषा*
1.	असमी	25.	सभो
2.	अरबी	26.	असमिया
3.	बंग्ला	27.	भोती
4.	भूटिया	28.	बोधी
5.	बोडो	29.	डोगरी
6.	अँग्रेज़ी	30.	फ्रेंच
7.	गारो	31.	गुजराती
8.	जर्मन	32.	हिंदी
9.	ककबरक	33.	कन्नड़
10.	कश्मीरी	34.	खासी
11.	कोंकणी	35.	कोन्यक
12.	लद्दाखी	36.	लेपचा
13.	लिम्बू	37.	लोठा
14.	मलयालम	38.	मणिपुरी
15.	मराठी	39.	मैथिली
16.	मिजो	40.	नेपाली
17.	निकोबारी	41.	उड़िया
18.	उड़िया(लोअर)	42.	पारसी
19.	पुर्तगाली	43.	पंजाबी
20.	राजस्थानी	44.	संस्कृत
21.	सेमा	45.	सिंधी
22.	तमिल	46.	तेलगू
23.	तिब्बती	47.	उर्दू
24.	जीलियांग	48.	संथाली

तालिका 3

क्षेत्रवार उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर त्रि-भाषा सूत्र अपनाने के आधार पर विद्यालयों की संख्या

क्षेत्र	*उच्च प्राथमिक स्तर*	*माध्यमिक स्तर*
ग्रामीण	228413(91.01)	72857(86.35)
नगरीय	77845(89.47)	38034(84.86)
योग	306258(90.61)	110891(84.86)

कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 4

क्षेत्रवार प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा के आधार पर विद्यालयों की संख्या प्रतिशत में

भाषा का नाम	*विद्यालयों की संख्या प्रतिशत में*		
	योग	*ग्रामीण*	*नगरीय*
बंग्ला	6.72	6.92	5.67
अंग्रेज़ी	87.49	87.04	89.87
हिंदी	59.70	58.66	65.24
कन्नड़	6.06	5.85	7.18
मराठी	7.69	7.74	7.45
उड़िया	5.07	5.61	2.19
संस्कृत	22.80	23.39	19.67
तमिल	5.04	4.40	8.45
तेलुगू	8.93	9.18	7.79
अन्य*	19.99	19.12	24.64

*अन्य में उन सभी भाषाओं को शामिल किया गया है जो 5% या उससे कम विद्यालयों में सिखायी जाती है।

तालिका–5

क्षेत्रवार प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा के आधार पर प्रबंधवार विद्यालयों की संख्या

क्षेत्र	*विद्यालय प्रबंधन*	*विद्यालयों की संख्या*	*पढ़ाई गई भाषाओं की संख्या के आधार पर विद्यालयों की संख्या (प्रतिशत में)*		
			एक	*दो*	*तीन या अधिक*
ग्रामीण	सरकारी	398831	9.41	41.42	49.18
	स्थानीय निकाय	248897	7.21	84.78	8.01
	गैर सरकारी वित्त-पोषित	22159	9.25	58.99	31.77
	गैर सरकारी वित्त-विहीन	46150	4.22	44.44	51.34
	योग	716037	8.30	57.23	34.47
नगरीय	सरकारी	35294	8.30	44.92	46.79
	स्थानीय निकाय	27944	7.17	82.15	10.68
	गैर सरकारी वित्त-पोषित	15382	7.79	57.02	35.18
	गैर सरकारी वित्त-विहीन	55764	5.21	43.69	51.09
	योग	134384	6.73	53.54	39.74
योग	सरकारी	434125	9.32	41.70	48.98
	स्थानीय निकाय	276841	7.20	84.51	8.28
	गैर सरकारी वित्त-पोषित	37541	8.65	58.18	33.17
	गैर सरकारी वित्त-विहीन	101914	4.76	44.03	51.21
	योग	850421	8.05	56.64	35.30

तालिका–6

क्षेत्रवार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को पहली भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या

विद्यालय का स्तर	*क्षेत्र*	*विद्यालयों द्वारा सिखाने वाली*			
		एक भाषा	*प्रतिशत*	*दो या अधिक भाषाएँ*	*प्रतिशत*
उच्च प्राथमिक	ग्रामीण	243232	96.91	7743	3.09
	नगरीय	82326	94.62	4679	5.38
	योग	325558	96.32	12422	3.68
माध्यमिक	ग्रामीण	80160	95.01	4210	4.99
	नगरीय	42183	9.10	4122	8.90
	योग	122343	93.62	8332	6.38

तालिका–7

क्षेत्रवार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को पहली भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या

पहली भाषा का नाम	*विद्यालयों की संख्या*					
	उच्च प्राथमिक			*माध्यमिक*		
	ग्रामीण	*नगरीय*	*योग*	*ग्रामीण*	*नगरीय*	*योग*
असमिया	7139 (2.47)	583 (3.2)	7719 (3.41)	3319 (6.89)	396 (5.22)	3715 (6.30)
अंग्रेज़ी	17784 (7.09)	15630 (17.96)	33414 (9.89)	6909 (8.19)	10423 (22.51)	17332 (13.26)
बंग्ला	8721 (2.47)	2797 (3.2)	11518 (3.41)	5817 (6.89)	2418 (5.22)	8235 (6.30)
गुजराती	24107 (9.61)	5455 (6.27)	29562 (8.75)	4125 (4.89	2376 (5.11)	6492 (4.97)
हिंदी	99583 (39.68)	35322 (40.6)	134905 (39.92)	26895 (31.88)	16328 (35.26)	43223 (33.08)
कन्नड़	17200 (6.85)	4939 (5.68)	22139 (6.55)	5176 (6.13)	2863 (6.18)	8039 (6.16)
मलयालम	3643 (1.45)	1332 (1.53)	4975 (1.47)	1844 (2.19)	786 (1.70)	2630 (2.01)
मराठी	26745 (10.66)	6293 (7.23)	33038 (9.78)	10649 (12.62)	3446 (7.44)	14095 (10.79)
उड़िया	11201 (4.46)	1292 (1.48)	12493 (3.70)	5566 (6.60)	649 (1.40)	6215 (4.76)
पंजाबी	5140 (2.05)	973 (1.12)	6113 (1.81)	2876 (3.41)	728 (1.57)	3604 (2.76)
तमिल	8020 (3.20)	5324 (6.12)	13344 (3.95)	3488 (4.13)	3421 (7.39)	6909 (5.09)
तेलगू	19931 (7.94)	6250 (7.18)	26181 (7.75)	8313 (9.85)	3610 (7.80)	11923 (9.12)
अन्य*	13224 –	6608 –	19832 –	5021 –	3894 –	8915 –

कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

*अन्य में उन सभी भाषाओं को शामिल किया गया है जो 5% या उससे कम विद्यालयों में सिखायी जाती हैं। यहाँ पर प्रतिशत नगण्य है।

तालिका–8

क्षेत्रवार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या

क्षेत्र	*उच्च प्राथमिक स्तर*		*माध्यमिक स्तर*	
	विद्यालयों की संख्या	*प्रतिशत*	*विद्यालयों की संख्या*	*प्रतिशत*
ग्रामीण	244628	97.47	33401	98.85
नगरीय	85735	98.54	45915	99.16
योग	330363	97.75	129316	98.96

तालिका–9

क्षेत्रवार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को दूसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या

दुसरी भाषा का नाम	*विद्यालयों की संख्या*					
	उच्च प्राथमिक			*माध्यमिक*		
	ग्रामीण	*नगरीय*	*योग*	*ग्रामीण*	*नगरीय*	*योग*
अंग्रेज़ी	145073 (57.80)	47942 (55.10)	193015 (57.11)	48758 (57.79)	24562 (53.04)	73320 (56.11)
हिंदी	84884 (33.82)	28559 (32.82)	113443 (33.57)	30113 (35.69)	16549 (35.74)	46662 (35.71)
खासी	327 (0.13)	91 (0.10)	418 (0.12)	180 (0.21)	89 (0.19)	269 (0.21)
लिम्बू	56 (0.02)	3 (0.00)	59 (0.02)	33 (0.04)	2 (0.00)	35 (0.03)
अन्य*	18970 –	13313 –	32283 –	6701 –	8705 –	15406 –

कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

*अन्य में उन सभी भाषाओं को शामिल किया गया है जो 5% या उससे कम विद्यालयों में सिखायी जाती हैं। यहाँ पर प्रतिशत नगण्य है।

तालिका–10

क्षेत्रवार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या

क्षेत्र	*उच्च प्राथमिक स्तर*		*माध्यमिक स्तर*	
	विद्यालयों की संख्या	*प्रतिशत*	*विद्यालयों की संख्या*	*प्रतिशत*
ग्रामीण	229008	91.25	72880	
नगरीय	77909	89.55	38060	
योग	306917	90.81	110940	

तालिका–11

क्षेत्रवार विद्यालय के आधार पर भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में सिखाने वाले विद्यालयों की संख्या

तीसरी भाषा का नाम	*विद्यालयों की संख्या*					
	उच्च प्राथमिक			*माध्यमिक*		
	ग्रामीण	*नगरीय*	*योग*	*ग्रामीण*	*नगरीय*	*योग*
भूटिया	25 (0.01)	2 (0.00)	27 (0.01)	10 (0.01)	0 (0.00)	10 (0.01)
अंग्रेज़ी	84935 (33.84)	23622 (27.15)	108557 (32.12)	28653 (33.96)	12181 (26.31)	40834 (31.25)
हिंदी	41620 (16.58)	14450 (16.61)	56070 (16.59)	16337 (19.36)	8301 (17.93)	2438 (18.85)
कोंकणी	111 (0.04)	124 (0.14)	235 (0.07)	103 (0.12)	122 (0.26)	225 (0.17)
संस्कृत	99233 (39.54)	36358 (41.79)	135591 (40.12)	28868 (34.22)	15954 (34.45)	44822 (34.30)
अन्य*	10645 –	8364 –	19009 –	4610 –	5579 –	10189 –

कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

*अन्य में उन सभी भाषाओं को शामिल किया गया है जो 5% या उससे कम विद्यालयों में सिखायी जाती हैं। यहाँ पर प्रतिशत नगण्य है।